न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 488/2022
अनवान : –

1. भागसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/06/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 62/62 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से वादी 21/43 हिस्सा तथा मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का 11/43 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

मेहरचन्द पुत्र मशानीलाल जाति महाजन साकिन चन्डीगढ़ हाल जसाना तहसील नोहर वादी के साथ सह खातेदार काश्तकार था तथा मेहरचन्द वल्द मशानीमल के आगे पिछे कोई नही था तथा मेहरचन्द निसंतान था तथा वादी के पास रहता था तथा वादी मेहरचन्द की सेवा सुश्रूषा करता था तथा मेहरचन्द का वादी पर अपार स्नेह था तथा मेहरचन्द ने अपनी सेवा सुश्रुषा से खुश होकर स्वैच्छा से रोही मौजा चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर की उक्त वाद भूमि में अपने हिस्से की 11 बीघा भूमि को वादी के पक्ष में दिनांक 23.05.2006 को वसीयत निष्पादित बरोबरू गवाहन करवा दी तथा मेहरचन्द वल्द मशानीलाल फौत हो चुका है जिसके कारण वादी मेहरचन्द के हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि मेहरचन्द वल्द मशानीलाल के नाम से दर्ज है जिसे वादी कलमजन करवाकर मेहरचन्द के हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर द[illegible]कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 की और से राजकार उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आकर जवाब पेश किया कि वादी ने वाद भूमि मे घोषणा करवाने का कथन कर अपने हकों की घोषणा चाही गई है वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद साबित करें एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 1 का जबाब पेश होने पर वादी को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया गया वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत प्रमाणित प्रतिलिपी नकल जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 रोही मौजा 17 केएनएन खाता स0 62 ईएक्सपी–1, वारिस प्रमाण पत्र ग्रा0 प0 जसाना ईएक्सपी–2, मूल वसीयतनामा दिनांक 23.05.2006 ईएक्सपी–3, स्व प्रमाणित आधार कार्ड ईएक्सपी–4 आदि प्रदर्शित करवायें। गवाह बयान काशीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर, श्री रामचन्द्र पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम फूसाराम पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ने न्यायालय में उपस्थित आकर बयान कियें जो की बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रतिवादी को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई साक्ष्य पेश नही किये जाने पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अर्जीदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 62/62 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से वादी 21/43 हिस्सा तथा मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का 11/43 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कि मेहरचन्द पुत्र मशानीलाल ने अपने हिस्से की 11 बीघा भूमि की वादी के पक्ष में दिनांक 23.05.2006 को वसीयत निष्पादित करवा दी कई थी मेहरचन् पुत्र मशानीमल को देहान्त हो गया है वादी मेहरचन्द की वसीयत के अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत प्रमाणित प्रतिलिपी नकल जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 रोही मौजा 17 केएनएन खाता स0 62 ईएक्सपी–1, वारिस प्रमाण पत्र ग्रा0 प0 जसाना ईएक्सपी–2, मूल वसीयतनामा दिनांक 23.05.2006 ईएक्सपी–3, स्व प्रमाणित आधार कार्ड ईएक्सपी–4 आदि प्रदर्शित करवायें। गवाह बयान काशीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर, श्री रामचन्द्र पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम फूसाराम पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ने न्यायालय में उपस्थित आकर बयान कियें तथा न्यायचिक दृष्टान्त आर आर डी वर्ष 1984 पेज – 391 इल्या एलएन वर्ष 2013(3) पेज 571 तथा सीसीसी वर्ष 2021 पेज – 24 व आरबीजे व 2019 पेज 142 आरआरटी वर्ष 2006–7 पेज पे– 59 पेश किये गये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

<u>प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार</u>

रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 62/62 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से वादी 21/43 हिस्सा तथा मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का 11/43 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है।

पत्रावली में प्रस्तुत वसीयत ईएक्सपी–3 के अनुसार मेहरचन्द पुत्र मशानीलाल ने अपने हिस्से 11/43 हिस्सा अर्थात 11 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 23.05.2006 को वादी के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाई जाकर गवाहन की उपस्थित में नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी जो प्रस्तुत वसीयत के अवलोकन से पूर्णत्या साबित है

मेहरचन्द पुत्र मशानीलाल द्वारा यह वसीयत गवाहन काशीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक 16–17 केएनएन व रामचन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर किया था तथा वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है जो वसीयत के अवलोकन से पूर्णत्या सबित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार मेहरचन्द पुत्र मशानीमल जाति महाजन निवासी चण्डीगढ हाल जसाना रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 62/62 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से वादी 21/43 हिस्सा तथा मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का 11/43 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था मेहरचन्द पुत्र मशानीमल द्वारा उक्त भूमि दिनांक 13.08.1979 को जरिये बेयनामा खरीद की गई थी तथा बेयानामा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 11.01.1980 को तस्दीक होने पर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ था अर्थात मेहरचन्द पुत्र मशानीमल जाति महाजन की स्वअर्तित भूमि थी।

मेहरचन्द वल्द मशानीमल जाति महाजन द्वारा अपनी स्वअर्जित उक्त भूमि की अपनी स्वैच्छा से गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 23.05.2006 को वादी भागसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन के पक्ष में वसीयत निष्पादित करवाई गई थी। मेहरचन्द पुत्र मशानीमल जाति महाजन का देहान्त दिनांक 07.11.2006 को हो चुका है मेहरचन्द के देहान्त होने पर वादी ने मेहरचन्द की वसीयत अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

वादी ने अपने वाद में अंकित कथनों को साबित करने के लिये वसीयत में अंकित गवाहन न्यायालय में उपस्थित आकर शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि मेहरचन्द पुत्र मशानीमल के द्वारा उनकी उपस्थिति में अपनी स्वैच्छा से वादी के पक्ष में वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवाई गई थी जो सही एव सत्य है तथा मेहरचन्द पुत्र मशानीमल की वसीयत अनुसार भूमि वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है इसीप्रकार वादी ने अपनी कथनों के समर्थन में गांव के मौजिज व्यक्तियों के ब्यानात भी करवाये गये जिनके द्वारा भी निवेदन किया गया की मेहरचन्द पुत्र मशानीमल के द्वारा निष्पादन की गई वसीयत सही एव सत्य है वादी मेहरचन्द की वसीयत के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

भागसिंह पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर व रहीश चन्द्र पुत्र श्री बीरबल राम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर के बयान लिये गये बयान में दोनो गवाहों द्वारा वसीयत को सही होना बताया है तथा वसीयत में बतौर गवाह हस्ताक्षर किये जाना भी स्वीकार किया है।

मेहरचन्द पुत्र मशानीमल जाति महाजन की वसीयत की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जाकर सार्वजनिक कार्यालयों एवं समाचार पर में प्रकाशन करवाई जाकर आपत्ति चाही गई थी किन्तु मेहरचन्द की वसीयत के सम्बध में विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार मेहरचन्द पुत्र मशानीमल जाति महाजन साकिन चण्डीगढ हाल जसाना ने अपने जीवनकाल में अपनी जरिये बेयनामा खरिदशुद्वा स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से वादी भागमल के पक्ष में दिनांक 23.05.2006 को निष्पादित करवाई गई थी मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का देहान्त दिनांक 07.11.2006 को हो चुका है मेहरचन्द के देहान्त होने पर वादी भागसिह मेहरचन्द की वसीयत के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का वाद पेश होने पर वसीयत की प्राथमिक जांच करने पर मेहरचन्द की वसीयत स्वेच्छा से करवाई जाना एवं सही एवं सत्य होना पाया गया एवं किसी भी प्रकार की आपप्ति सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी होने पर भी प्राप्त नही हुई ।

मेहरचन्द पुत्र मशानीमल जाति महाजन की वसीयत दिनांक 23.05.2006 जो वादी के पक्ष में करवाई गई की प्राथमिक जांच उपरान्त सही व सत्य एवं वादी के पक्ष में पाये जाने के कारण वसीयत अनुसार वादी वाद भूमि अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायियक दृष्टान्त के अनुसार कोई भी काश्तकार /खातेदार अपनी स्वेच्छा से वसीयत निष्पादन करवा सकता है यह आवश्यक नही है उस वसीयत को पंजीबद्व करवाया जाना आवश्यक हो साधारण कागज पर भी वसीयत करवाई जा सकती है जिसे गवाहन से साबित करवाया जा सकता है रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व न्यायालय को वसीयत के अन[illegible] ब[illegible] जांच राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना है वसीयत की वैधता की [illegible] राजस्व न्यायालय को नही है बल्कि वसीयत को प्रभावी मानकर उसी के तहत वसीयत[illegible]हिता के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कार्यवाही की जानी चाहिये नामान्तकरण दर्ज करने का तात्पर्य केवल वसीयत ग्रहिता से राजस्व वसूल करना है जबकि अन्तिम अधिकार तो सक्षम न्यायालय के द्वारा ही तय किये जाने है (आरबीजे 2006 पेज 133)

हस्तगत प्रकरण में वसीयत साधारण पेज पर अंकित की गई है जिसे वादी ने गवाहान एव मौजिज व्यक्तियों के ब्यानात से पूर्णत्या साबित किया गया है एवं सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण प्रथम दृष्टया वादी मेहरचन्द की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि मेहरचन्द पुत्र मशानीमल जाति महाजन साकिन चण्डीगढ हाल जसाना के अपनी स्वअर्जित भूमि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 62/62 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से वादी 21/43 हिस्सा तथा मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का 11/43 हिस्सा की वसीयत दिनांक 23.05.2006 को वादी के पक्ष में निष्पादित करवाई गई थी मेहरचन्द का देहान्त होने पर वादी ने मेहरचन्द की वसीयत को गवाहन एव सार्वजनिक विज्ञप्ति से पूर्णत्या साबित किया जाने के कारण वादी मेहचन्द पुत्र मशानीमल की वसीयत के अनुसार वसीयत में दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 62/62 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का 11/43 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान : –

1. भागसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 488 सन 2022 निर्णय दिनांक– 06/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि_रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 62/62 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का 11/43 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक मेहरचन्द पुत्र मशानीमल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:32 IST
Reason: SelfAttested